न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ...तुसारी बनाम ....गंगाराम मल्लू वगै०

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 38/2018/RA निर्णय दिनांक :- 31-12-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ....तुसारी.... की आ.ख.न. 454 कुल रकबा 1.08 किस्म जमीन गै०मु० मरघट में से 0-01 रकबे पर की 1-08 .... पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लकडी डालकर गंगाराम, मल्लू पि० बिल्लू कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तुसारी ...... द्वारा दिनांक .... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव भू.अ.निरी. .... के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी गंगाराम मल्लू जाति जाटव निवासी तुसारी को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 454 रकबा 01.08 में से 0.01 नंदी 1-08

रकबे किस्म गै०मु०मरघट है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 63 Paise का 50 गुणा 32/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी ....तुसारी.... भू.अ.निरी. बल्लीसरा ...... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि - प. ह. ... 16 ... 1
2018-19 ... 32/-